

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1354-58

दिनांक:- 14/02/2025

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 22.01.2025 के ऐजेन्डा संख्या 6 के अन्तर्गत लिए गये निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का अन्य राज्य को भेजे जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र उनके प्रोफाई में पीडीएफ प्रिन्ट के स्थान पर कौंसिल द्वारा जारी एनओसी का पत्रांक व दिनांक तथा कौंसिल का नाम अंकित लिया जाना है, जो अभ्यर्थी की प्रोफाईल पासवर्ड द्वारा संरक्षित होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1354-58

दिनांक:- 14/02/2025

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. आई.टी. सलाहकार (अनुबन्ध) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
4. कार्यालय प्रति।



रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर